भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1142

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन

1142. श्री सुखदेव भगत:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई यूरिया नीति, 2015 के कार्यान्वयन, उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और उसके बाद शुरू किए गए कई सब्सिडी सुधारों के बावजूद, बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों को डीएपी और एमओपी जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण कमी, उर्वरक की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन और खेती की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) क्या सरकार ने मौजूदा उर्वरक सब्सिडी संरचना के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है, जिसमें यूरिया मूल्य-नियंत्रित रहता है जबकि फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक नियंत्रण मुक्त हैं और जिसका संतुलित पोषक तत्व उपयोग, मृदा स्वास्थ्य और किसानों पर वित्तीय बोझ का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क): देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम का प्रारंभ होने से पहले डीएएण्डएफडब्ल्यू, सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों के प्रेषण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(v) राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान राज्यों में सभी उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। दिनांक 01.04.2026 से 21.07.2026 तक की अवधि के दौरान राज्यों में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और शेष स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरकों का एमआरपी विनियंत्रित हैं और उर्वरक कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का एमआरपी उचित स्तर पर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस सब्सिडी अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान उनकी पीओएस बिक्री पर उत्पादक/आयातक को प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरें निर्धारित करते समय प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता पर विचार किया जाता है ताकि किसानों के लिए उर्वरक किफायती रहें।

डीएपी, जो एक प्रमुख उर्वरक है, को खरीफ़ एवं रबी मौसम 2025-26 और खरीफ़ 2026 के लिए ₹1350 प्रति 50 किलोग्राम बोरी के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, एनबीएस सब्सिडी के अलावा 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है जिसमें 'अन्य लागतों', जैसे कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत**,** अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण हुए लाभ/नुकसान को पूरा करने के लिए प्रावधान**,** एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान शामिल है। ये प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों और आयातित टीएसपी हेतु भी प्रदान किया गया है ताकि उर्वरकों के मूल्य स्थिर रहें।

(ख) और (ग): सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता स्कीम के माध्यम से उर्वरक के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। उत्पादकता और मृदा उर्वरता में सुधार के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सभी जोतधारकों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) प्रदान करने के लिए यह योजना 2014-15 से लागू की जा रही है।

- मिट्टी के नमूनों को मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किया जाता है और पीएच, विद्युत चालकता, ऑर्गेनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषकतत्वों (जिंक, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरोन) जैसे मानदंडों के लिए इनका विश्लेषण किया जाता है।

- 2014-15 से अब तक देश भर में 26.09 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड सृजित किए जा चुके हैं/वितरित किए जा चुके हैं।
- उपरोक्त राज्य मृदा प्रयोगशालाओं के अलावा, देश में स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1020 स्कूल मिनी मृदा प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं।
- इसकी शुरूआत के बाद से अब तक इस स्कीम के तहत 2153.29 करोड़ रुपये की निधि जारी की जा चुकी है।
- देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों पर 93781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन, 7425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों के संवर्धन और वितरण के अंतर्गत इस स्कीम में 1351166 हेक्टेयर क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली ने 2017 में मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों के 76 जिलों में 'भारत में एसएचसी के त्वरित वितरण के लिए मृदा परीक्षण अवसंरचना' नामक एक अध्ययन किया, जिसमें 170 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और 1700 किसानों को शामिल किया गया। एसएचसी सिफारिशों के अनुसार उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, रासायनिक उर्वरक अनुप्रयोग के उपयोग में 8-10% की कमी पाई गई। एसएचसी के अनुसार उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुप्रयोग के कारण फसलों की उपज में कुल मिलाकर 5-6% की वृद्धि दर्ज की गई।
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद द्वारा मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम (नवंबर 2017) का एक गहन अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 62.8% किसान मृदा स्वास्थ्य स्कीम (एसएचसी) पर दी गई सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उर्वरक के कम उपयोग के कारण प्रति एकड़ लागत 4 से 10% तक कम हो गई है। अधिकांश फसलों की पैदावार में मामूली वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, धान किसानों ने यूरिया का उपयोग 9%, डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)/सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग 7% तक कम कर दिया, लेकिन पोटेशियम का उपयोग 20% तक बढ़ा दिया। धान और कपास में उर्वरक के उपयोग में विशेष रूप से यूरिया और डीएपी में काफी गिरावट आई, इसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई क्षेत्र में खेती की लागत कम हुई है।

इसके अलावा, नीति आयोग ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम पर एक अध्ययन किया है। मूल्यांकन में यह नोट किया है कि स्कीम में पोषक तत्वों से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, 28 उर्वरक ग्रेडों के साथ कवरेज में विस्तार और यूरिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम सब्सिडी आवश्यकताओं सहित कई वैचारिक मजबूत पक्ष सामने आए। अध्ययन में यह भी प्रकाश डाला गया है कि एनबीएस ढांचे के भीतर यूरिया को शामिल करने, परिचालन प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने, आयात पर निर्भरता को कम करने, छोटे और सीमांत किसानों के सामर्थ्य में सुधार जैसे पहलुओं के मद्देनजर स्कीम की प्रभावशीलता को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 24.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1142 के उत्तर के भाग (ख) से (ग) से संबंधित है।

मौजूदा खरीफ़ 2026 (01.04.2026 से 21.07.2026 तक) के दौरान राज्य-वार उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र. सं	राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 21.07.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 21.07.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 21.07.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 21.07.26 तक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.38	6.45	2.56	3.88	0.70	1.58	0.76	0.82	0.36	0.71	0.30	0.41	1.91	6.48	2.53	3.96
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.28	2.13	1.60	0.54	0.19	0.41	0.24	0.17	0.14	0.42	0.19	0.23	0.13	0.28	0.09	0.19
5	बिहार	4.20	7.66	3.07	4.59	1.47	2.26	0.83	1.42	0.77	0.80	0.12	0.69	1.76	3.22	0.67	2.55
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	5.67	7.33	4.93	2.40	2.42	1.97	1.36	0.61	0.61	0.82	0.50	0.32	1.93	2.29	1.54	0.76
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.09	0.08	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00
12	गुजरात	5.79	8.21	5.42	2.79	2.47	2.21	1.56	0.65	0.29	0.41	0.20	0.21	3.34	4.19	2.23	1.96
13	हरियाणा	6.05	9.52	7.31	2.21	1.25	1.61	1.17	0.44	0.39	0.38	0.13	0.25	0.30	0.42	0.16	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.16	0.39	0.25	0.14	0.01	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01	0.09	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.58	1.15	0.76	0.39	0.17	0.29	0.19	0.10	0.08	0.15	0.10	0.04	0.01	0.06	0.02	0.04
16	झारखंड	1.37	2.08	0.96	1.12	0.42	0.38	0.22	0.16	0.04	0.06	0.01	0.05	0.52	0.59	0.25	0.34
17	कर्नाटक	6.19	8.48	4.51	3.98	2.65	3.11	2.27	0.83	1.27	1.59	0.76	0.84	7.26	12.10	6.76	5.35
18	केरल	0.31	0.64	0.39	0.26	0.06	0.18	0.09	0.09	0.21	0.43	0.28	0.15	0.49	0.57	0.32	0.25
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	9.84	14.42	8.97	5.45	3.01	3.13	2.13	1.00	0.77	0.58	0.27	0.31	4.26	6.69	3.54	3.16
21	महाराष्ट्र	9.73	14.08	8.63	5.45	3.30	3.61	2.55	1.06	0.82	1.80	0.83	0.96	11.20	21.23	11.49	9.73
22	मणिपुर	0.10	0.18	0.11	0.07	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01
23	मेघालय	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	2.73	4.17	1.67	2.49	1.22	1.53	0.80	0.73	0.55	0.76	0.21	0.55	1.68	2.12	0.81	1.32
27	पुदुचेरी	0.04	0.05	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	11.69	15.01	11.77	3.24	1.50	2.33	1.31	1.02	0.57	0.64	0.21	0.43	0.48	0.50	0.18	0.32
29	राजस्थान	5.93	10.61	6.73	3.87	2.85	2.60	1.85	0.75	0.04	0.14	0.04	0.10	0.67	1.38	0.65	0.73
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.57	4.49	2.89	1.60	0.75	1.02	0.56	0.46	0.58	0.70	0.40	0.31	2.59	3.80	1.97	1.83
32	तेलंगाना	7.02	7.51	3.93	3.58	1.97	1.71	1.43	0.28	0.54	0.53	0.13	0.40	6.85	7.46	4.02	3.44
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.68	0.95	0.69	0.25	0.14	0.30	0.14	0.15	0.04	0.05	0.01	0.05	0.11	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	23.38	33.66	17.36	16.30	4.92	8.63	3.45	5.17	1.42	1.37	0.23	1.14	1.95	6.26	1.28	4.98
36	पश्चिम बंगाल	3.26	7.30	3.26	4.04	0.79	1.33	0.55	0.79	0.76	1.51	0.39	1.12	1.97	5.67	1.75	3.92
	अखिल भारत	**112.09**	**166.78**	**97.98**	**68.79**	**32.35**	**40.29**	**23.52**	**16.77**	**10.29**	**13.91**	**5.32**	**8.61**	**49.58**	**85.56**	**40.39**	**45.17**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री